

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 31/14

संस्थापन दिनांक:-22/01/14

फाईलिंग नं. 233504005082014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

तुलसीराम पिता जयराम
 उम्र 29 वर्ष, निवासी ठानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 28.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.2014 को 09:15 बजे या उसके लगभग खिड़की रोड पेट्रोल पम्प के पास जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 15.01.2014 को उप निरीक्षक प्रशांत शर्मा आवेदन पत्र की जांच हेतु हमराह स्टाफ के रवाना हुये थे तभी जनपद चौक पर उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पम्प खिड़की रोड पर अभियुक्त हाथ में छुरी लिये आने जाने वालो को डरा रहा है। सूचना की तत्पश्चात हेतु घटना स्थल पहुंचे जहां पर उसे साक्षी यादोराव और दुर्जन मिले तब घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा गया। अभियुक्त से छुरी रखने का लायसेंस पूछने पर न होना बताने पर अभियुक्त से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त की गयी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 40/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2014 को 09:15 बजे या उसके लगभग खिड़की रोड पेट्रोल पम्प के पास जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 15.01.2014 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 40/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 यादोराव (अ.सा.-1) ने उसके समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है। साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि अभियुक्त तुलसीराम घटना के समय हाथ में कुल्हाड़ी तलवार लेकर छिपा हुआ था जिसके पुलिस ने आकर पकड़ा था और उससे कुल्हाड़ी तलवार जप्त की थी। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके सामने पुलिस ने तलवार एवं कुल्हाड़ी जप्त किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने

हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

7 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) की अभियुक्त से रंजिश है। अन्य साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विवेचक साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.-2) एवं साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) के कथनों में विरोधाभास है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त तुलसीराम हाथ में कुल्हाड़ी तलवार लेकर मौके पर छिपा हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह मौके पर पुलिस वालों को साथ में लेकर गया हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में इसी साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त कुल्हाड़ी तलवार लेकर घूम रहा था यह बात उसने पुलिस को बतायी थी और उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त से कुल्हाड़ी और तलवार जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में साक्षी ने अभियुक्त से दो तीन साल पहले से विवाद होना बताया है। अभियोजन कथा के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर उक्त साक्षी को मौके पर साथ ले जाकर अभियुक्त से छुरी जप्त की गयी जबकि उक्त साक्षी स्वयं के द्वारा पुलिस को सूचना देना और पुलिस को अपने साथ मौके पर ले जाना तथा अभियुक्त से कुल्हाड़ी तलवार की जप्ती उसके सामने किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साथ ही उक्त साक्षी ने अभियुक्त से रंजिश होना स्वीकार किया है जिससे उक्त साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

9 प्रकरण में साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) विश्वसनीय नहीं पाया गया है। अतः अभिलेख पर एक मात्र विवेचक साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.-2) के कथन उपलब्ध है जिससे यह देखा जाना है कि उसके द्वारा की गयी कार्यवाही से अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित होती है अथवा नहीं। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में बचाव के

इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अंदाज से चाकू का नाप लिखा था। स्वतः में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि वह इंच टेप साथ लेकर गया था और इंच टेप से नापकर लिखा है। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में इंच टेप से नाप किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण के पैरा क. 5 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसे मौके पर ऐसा कोई गवाह नहीं मिला था जिसने उसे बताया हो कि अभियुक्त तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा हो। स्वतः में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि साक्षी दुर्जन एवं यादोराव ने मौके पर अभियुक्त को लोगों को डराते धमकाते देखा था। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त से धारदार लोहे की छुरी गवाहों के समक्ष जप्त की गयी लेकिन जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि उसे गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 09:15 बजे की गयी तथा उसे 09:20 बजे गिरफ्तार किया गया। पांच मिनट के भीतर जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही की जाना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने का उल्लेख न किये जाने से निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। साथ ही विवेचक साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.-2) एवं साक्षी दुर्जन (अ.सा.-3) के कथनों में गंभीर विरोधाभास है जिससे कि एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2014 को 09:15 बजे या उसके लगभग खिड़की रोड पेट्रोल पम्प के पास जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की धारदार छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त तुलसीराम को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)